Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to take immediate steps to separate Central Govt's 'Ayushman Bharat' from Karnataka Govt's 'Arogya Karnataka' Scheme.

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में प्रधान मंत्री 'आयुष्मान योजना' के अंतर्गत 371 प्राईवेट हास्पिटलों को पैनलबद्ध किया है । इसके साथ ही 405 गवर्नमेंट हास्पिटलों को भी पैनलबद्ध किया गया है । लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में एक बाधा खड़ी कर दी है । उसके तहत मरीजों को पहले तालुकों और जिलों के गवर्नमेंट हास्पिटलों में जाना अनिवार्य है । उसमें एवं अन्य प्रक्रियाओं में तीन-चार दिन का समय लिया जाता है । उसके उपरांत ही कोई मरीज प्राईवेट हास्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है । इस प्रक्रिया के कारण गंभीर रूप से पीड़ित मरीज जिनको तत्काल इलाज की आवश्यकता है, वे परेशान हो रहे हैं । कई बार मरीज इलाज के अभाव के कारण दम तोड़ देते हैं । मैं सरकार से मांग करती हूं कि कर्नाटक सरकार को निर्देशित करे कि कर्नाटक सरकार के 'आरोग्य कर्नाटक योजना' को 'आयुष्मान योजना' से बाहर रखा जाए, ताकि मरीज सीधे पैनलबद्ध प्राईवेट हास्पिटलों में जाकर अपना इलाज करवा सकें ।

..... I would like to draw the attention of the Union Government that while implementing the Ayushman Bharath program, the Government of Karnataka is not doing justice to the people of the state. The Government of Karnataka merged the Ayushman Bharath program with state sponsored Arogya Karnataka scheme. As per the rules of the State Government patients are required to take permission from government hospital to avail medical treatment in the empanelled private hospital. As per the State Government orders, the doctors at the government hospitals can refer patient to empanelled private hospitals, only if the required medical treatment is not available with them. The

Union Government has made a provision of up to Rs. 5 lakh to a family of poor people of the country to avail medical treatment at the better hospitals other than government hospitals.

I urge upon the Union Government to take immediate steps to separate central government's Ayushman Bharath healthcare program and the Arogya Karnataka scheme of the state government. And also ensure that the provision of Rs. 5 lakh for medical treatment of the poor reaches the families of poor people in the country.

माननीय अध्यक्ष : श्री एस. मुनिस्वामी, श्री एस. सी. उदासी, श्री जी. एम. सिद्देश्वरा और श्री बी. वाई. राघवेन्द्र को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।